

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रथम) का कार्यालय, मध्य प्रदेश,
ऑडिट भवन झांसी रोड, ग्वालियर 474 002
amg2hqrs.mp1.au@cag.gov.in

लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह—द्वितीय के दल क्रमांक—01 का दौरा कार्यक्रम

‘Horizontal PA on Health Infrastructure and Management of Health Services’

श्री संजय शुक्ला	श्री आशुतोष शुक्ला	श्री मनोज मीणा	श्री राजेश सिंह
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
MPGWB 3110466	MPGWB 3111307	MPGWB 3111920	MPGWB 3111767

स. क्र.	इकाई का नाम	दिवस	कार्य दिवस
	प्रस्थान: ग्वालियर	22.11.21	प्रातः
01	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर एवं सिविल सर्जन सह अधीक्षक अस्पताल ग्वालियर।	30	22.11.2021 से 31.12.2021
	प्रस्थान: ग्वालियर	31.12.2021	सांय

अवकाश – नवम्बर: 27,28, दिसम्बर: 4,5,11,12,18,19,25,26

विशेष निर्देश:

1. - पी.ए. के लिए कवरेज अवधि पांच वर्ष अर्थात् वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक की होगी।
2. - प्रथम दिन इकाई के प्रमुख के साथ प्रारंभिक बैठक में पी.ए. के उद्देश्य एवं लेखापरीक्षा के संबंध में चर्चा कर तथा बैठक का कार्यवृत्त ई-मेल के माध्यम से मुख्यालय अनुभाग को प्रेषित करे तथा अंतिम दिन समापन बैठक में पी.ए. के दौरान अप्रस्तुत एवं अप्राप्त अभिलेख/ज्ञापन का उल्लेख करते हुए बैठक का कार्यवृत्त ई-मेल के माध्यम से मुख्यालय को प्रेषित करें।
3. - PA दल PA से संबंधित योजना/कार्यो का समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कापी/फोटो एंक्रित करेंगे एवं पी.ए. संबंधित आवंटन-व्यय, बैंक लेन-देन, रोकड बही, पंजिया, फाइलें कार्य पंजियों के अतिरिक्त PFMS, MIS, Portals से जानकारी की हार्ड एवं सॉफ्टकॉपी में एकत्र करेगा।
4. - PA के दौरान आधार अभिलेखों का स्कैनिंग समुचित रूप से करें ताकि दुबारा आधार अभिलेखों के लिए इकाई पर नहीं जाना पड़े।
5. - PA के दौरान वांछित अभिलेखों को स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए मांग की जाए। योजना/नियम अनुसार संधारित होनेवाले अभिलेख/पंजी संधारित न होने एवं वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर तत्काल समूह अधिकारी को सूचित करें।
6. - Any other work as and when directed by higher authorities should also be done by the team members

7. - The audit parties shall follow covid-19 related government guidelines issued/revised from time to time. If any issue arises, they should immediately inform to DAG.

(प्राधिकार:—उपमहालेखाकार के आदेश दिनांक 18.11.2021)

—हस्ता—

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
लेखापरीक्षा प्रबन्धन समूह—द्वितीय